

# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल  
विश्वविद्यालय  
जौनपुर।



पत्रांक:पू0वि0वि0/साम./11-59(3)/2008/3521

दिनांक: ० 10/11/2008

सेवा में,

प्रबन्धक,  
तिलेश्वरी देवी महाविद्यालय,  
गौरा, पतोई, बलिया।

**विषय:-** तिलेश्वरी देवी महाविद्यालय, गौरा, पतोई, बलिया में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत  
चयनित प्राचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 24.06.2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति, एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने डॉ० वेदप्रकाश वर्मा पुत्र श्री किसुन वर्मा जन्म तिथि 01.01.1961 को शासनादेश दिनांक 09 मई 2000 एवं वर्तमान शासनादेशों के आलोक में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर प्राचार्य पद पर नियुक्ति किए जाने हेतु अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा।

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय।

भवदीय,

सहायक कुलसचिव  
(सम्बद्धता)

# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

उपकुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय  
जौनपुर (उ.प्र.)



पत्रांक: 3225 सम्बद्धता / 2006

दिनांक: 21-12-06

सेवा में,

प्रबन्धक

तिलेश्वरी देवी महाविद्यालय,  
गौरा, पतोई, बलिया।

विषय - स्वयत्तपोषी योजनान्तर्गत चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 22.11.2006 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी सस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने निम्नलिखित अभ्यर्थियों को शासनादेश दिनांक 09 मई 2000 के आलोक में स्वयत्तपोषी योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	प्रवक्ता
1. डॉ० दुर्वेश कुमार शर्मा	श्री चन्द्रबली शर्मा	01-01-1970	हिन्दी
2. डॉ० विष्णुदेव तिवारी	श्री प्रेम नारायण तिवारी	16-09-1973	संस्कृत
3. डॉ० सर्वजीत यादव	श्री सूर्यभान यादव	01-07-1976	प्राचीन इतिहास
4. डॉ० सूर्यकान्त भारतीय	श्री रामकिशुन राम	17-09-1970	भूगोल

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र पर अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो नोटरी द्वारा सत्यापित हो, सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा साथ ही यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउण्टपेयी बैंक द्वारा ही भुगतान किया जाय।

भवदीय

उपकुलसचिव  
(सम्बद्धता)

# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

उप कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।



पत्रांक: पु.वि.वि./सम्बद्धता/11-59(लीन)/2007/02  
दिनांक: 24/11/08

सेवा में,

प्रबन्धक,

तिलेश्वरी देवी महाविद्यालय,

गौरा, प्रताप, बलिया।

**विषय :-** स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान विषय में  
घयनित प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-18.12.2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।  
इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि घयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये  
गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक-09 मई, 2000 के  
आलोक में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थी  
को प्रवक्ता पद पर नियुक्त किये जाने हेतु अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत  
अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा  
उक्त घयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः  
निरस्त समझा जाएगा।

**स्नातक स्तर पर-**

नाम	पिता का नाम	जन्म-तिथि	प्रवक्ता
कु. उदिता त्रिपाठी	श्री आर.एस. त्रिपाठी	16-07-77	गृहविज्ञान

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र  
की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित  
अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ ही यह भी सूचित है कि अनुदान पत्र  
में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी भेक द्वारा ही  
भुगतान किया जाय।

भवदीय,

  
उप कुलसचिव  
सम्बद्धता



# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक

कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल  
विश्वविद्यालय  
जौनपुर।



पत्रांक:पू.वि.वि / रा.ब.व.ता / 11-59(जी-1) / 2008 / 1461

दिनांक 01/8/2008

सेवा में,

प्रबन्धक,  
तिलेश्वरी देवी महाविद्यालय,  
गौरा, पतोई, बलिया।

**विषय:-** तिलेश्वरी देवी महाविद्यालय, गौरा, पतोई, बलिया में स्वयत्तापोषी योजनान्तर्गत चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-24.06.2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति, एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने निम्नलिखित प्रवक्ताओं को शासनादेश दिनांक 09 मई 2000 के आलोक में स्वयत्तापोषी योजनान्तर्गत 5 वर्ष की सविदा के आधार पर नियुक्ति किए जाने हेतु अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा।

नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	प्रवक्ता
1. डॉ० रितेश प्रसाद तिवारी	श्री रमेश तिवारी	15.01.1978	समाजशास्त्र
2. डॉ० मृत्युन्जय तिवारी	ब्रह्मदेव तिवारी	05.01.1977	राज-नीतिशास्त्र

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं सविदा पत्र की प्रति अन्यथा एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूचित है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपैयी बैंक द्वारा ही भुगतान किया जाय।

भवदीय,  
  
कुलसचिव